भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2553
(05 अगस्तन्न2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना

2553. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वयं-सहायता समूहों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए क्या पहल की गई है,

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत और समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नए आदर्श ग्राम विकास परियोजनाएँ बनाई जा रही हैं; और

(ग) मंत्रालय संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों , सिंचाई प्रणालियों और आवास जैसे जलवायु अनुकूल बुनियादी ढाँचे को किस प्रकार समर्थन दे रहा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का लक्ष्य अन्य बातों के अलावा , अपनी उप-योजना, अर्थात स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। एसवीईपी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। एसवीईपी को 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है और अब तक 3.74 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), के अधीन यह मंत्रालय ग्रामीण गरीब युवाओं का रोजगार के माध्यम से कौशल विकास करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है।

डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब युवाओं को रोजगार से संबद्ध कौशल प्रदान करना और उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक वेतन वाली नौकरियाँ प्रदान करना है। डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सरल बनाता है। डीडीयू-जीकेवाई के दिशानिर्देशों में (50%) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति , (33%) महिलाएं, और (5%) दिव्यांगजन के सामाजिक समावेशन का प्रावधान है।

आरएसईटीआई, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान है , जिसकी स्थापना प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने ज़िलों में कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की जाती है। यह मंत्रालय, आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण का खर्च भी वहन करता है। स्व-रोज़गार या वेतनभोगी रोज़गार अपनाने की इच्छा रखनेवाले 18-50 वर्ष आयु के किसी भी बेरोजगार युवा के लिए आरएसईटीआई में प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है।

देश में, डीडीयू-जीकेवाई के तहत कुल 17,50,784 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 11,48,247 अभ्यर्थियों को रोजगार मिल चुका है , और आरएसईटीआई के तहत इसकी स्थापना से जून 2025 तक कुल 56,69,265 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और कुल 40,99,578 अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हो चुका है।

(ख) और (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका समग्र लक्ष्य वर्ष 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 4.95 करोड़ पक्के आवास बनाने में पात्र ग्रामीण परिवारों की सहायता करना है। दिनांक 31 जुलाई 2025 तक, 4.95 करोड़ आवासों के संचयी लक्ष्य में से ,

4.12 करोड़ आवास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3.84 करोड़ आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.81 करोड़ से अधिक आवास पूरे हो चुके हैं। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अनिवार्य समन्वय के माध्यम से 90/95 श्रम दिवसों के अकुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमएवाई-जी ग्रामीण क्षेत्रों में हरित आवास प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार , राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इच्छुक लाभार्थियों को उपयुक्त सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि आवास को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए पहल (प्रकृति हुनर लोकविद्या) के अनुसार विभिन्न ग्रामीण आवास टाइपोलॉजी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और अनवीकरणीय संसाधनों के ह्रास को कम किया जा सके। इस मंत्रालय ने पहल संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए सीएसआईआर-सीबीआरआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं , इस संग्रह में ग्रामीण आवास के लिए 3डी दृश्य और राज्य-विशिष्ट तकनीकें/प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जो मुख्य रूप से स्थानीय संसाधनों , जलवायु, भू-भाग और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अलावा , क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के बारे में लोगों की स्वीकार्यता पर केंद्रित हैं।

वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , सड़कों से नहीं जुड़ी बस्तियों को बारहमासी सड़क सम्पर्क प्रदान करके ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम रही है, जिससे आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ावा मिला है, सेवाओं तक पहुंच में सुधार हुआ है और ग्रामीण उद्यमिता को सक्षम बनाया गया है।

सितंबर 2024 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई- I V को समावेशी ग्रामीण विकास , विशेष रूप से जनजातीय, आकांक्षी और दूरदराज के क्षेत्रों में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है , और यह सीधे ग्रामीण और आर्थिक एकीकरण में योगदान देती है।

जुलाई 2025 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संचयी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(क) स्वीकृत सड़क लंबाई: 8,38,611 कि.मी.

(ख) पूर्ण की गई सड़क लंबाई: 7,83,525 कि.मी.

पीएमजीएसवाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल और हरित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देती है। वर्ष 2013 के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य में कम से कम 15% सड़कों का निर्माण नई और हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किया जाना अनिवार्य है। पीएमजीएसवाई के तहत की गई पहल न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करती है , बल्कि स्थानीय रोज़गार के अवसर भी पैदा करती है, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देती है और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की आपदा-प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है। जुलाई 2025 तक हरित प्रौद्योगिकी में प्रगति इस प्रकार है :

(क) स्वीकृत सड़क लंबाई: 1,55,614 कि.मी.

(ख) निर्मित सड़क लंबाई: 1,24,688 कि.मी.

पीएमजीएसवाई, (क) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों और किसानों के लिए बाज़ार तक पहुँच को सुगम बनाने , (ख) स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाने और (ग) ग्रामीण मूल्य श्रृंखलाओं में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सक्षम बनाने के माध्यम से एक आधारभूत प्रवर्तक के रूप में कार्य करती है ग्रामीण विकास की अन्य पहलों के साथ समन्वय करते हुए , पीएमजीएसवाई उद्यमिता विकास , ग्रामीण रोज़गार और समावेशी विकास के लिए एक प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्यान्वयन करता है , जो एक व्यापक नीतिगत ढाँचा है और इसमें सौर ऊर्जा , उन्नत ऊर्जा दक्षता , जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र , सतत आवास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्यनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। ये मिशन , अन्य बातों के साथ-साथ , समुदाय-आधारित कार्यों के माध्यम से बुनियादी ढाँचे, कृषि और जल क्षेत्रों की अनुकूलन क्षमता में सुधार करके भविष्य के जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की आवश्यकता पर भी ध्यान देते हैं।

****